

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एसीपी/एफ.30705/2025/

दिनांक :

आदेश

वित्त विभागके आदेश क्रमांक एफ:15(1) एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ:15(88) एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री दीपक शर्मा पुत्र स्व. श्री राम कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राजकीय चिकित्सालय, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली जिनकी राज्य सेवा (सवंग) में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.04.2002 है, को राज्य सेवा में 18 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 08.04.2020 से पे मेट्रिक्स लेवल-10 में द्वितीय एसीपी स्वीकृत कि जाती है।

उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एसीपी/एफ.30705/2025/ 117

दिनांक : 21/1/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान राजकीय चिकित्सालय, बीकानेर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :31-01-2025 10:54:04

